न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर ।

पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2943 सन 2026

CNR No. UPSP 01006975 2026

1. मोनू उर्फ प्रदीप पुत्र मांगा
2. पिंकू पुत्र बिशना
3. बोबी पुत्र मांगा
निवासीगण ग्राम झबीरन थाना सरसावा जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्तगण।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु.अ.सं. 212/2026
धारा–115(2),352,351(2),333 बी0एन0एस0
थाना–सरसावा , सहारनपुर।

निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र

20.08.2026

प्रार्थी/अभियुक्तगण **मोनू, पिंकू एवं बोबी की** ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र उपरोक्त वर्णित अभियोग में अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा स्वयं के शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन मामला इस प्रकार है कि वादी अनीता की ओर से थाना पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 18.05.2026 को वादिया का अपने पडोसी मोनू, पिंकू व बोबी से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गयी थी जिसके सम्बन्ध में परिवार व गॉव के जिम्मेदार लोगो ने सुलह करा दी थी परन्तु उसी दिन रात्रि समय करीब 08:00 बजे मोनू, पिंकू व बोबी ने उनके घर में आकर उसके पति सोमपाल, पुत्री नेहा के साथ गाली गलोच करते हुए मारपीट की। शोर सुनकर आस पास के लोगो के आने पर तीनो अभियुक्तगण मौके से भाग गये। मारपीट में उसके पति के सिर में चोट लग गयी थी। डर के कारण वह रिपोर्ट लिखाने नहीं आयी थी। आज तहरीर दे रही है।

वादी की उक्त तहरीर के आधार पर थाना पर यह अभियोग अभियुक्तगण मोनू, पिंकू व बोबी के विरूद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गयी कि उसे इस मामले में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। सत्यता यह है कि दिनांक 18.05.2026 को सचिन, सोमपाल, निखिल व अरूण द्वारा मोनू उर्फ प्रदीप व बोबी के साथ मारपीट की गयी थी। जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 19.05.2026 को थाना पर दर्ज करायी गयी थी। उक्त मामले से बचने के लिए अभियुक्तगण के विरूद्ध यह झूठा मामला बनाया गया है। उक्त आधार पर अभियुक्त की ओर से अग्रिम जमानत के लाभ प्रदान किए जाने की याचना की गयी है।

राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

थाना से प्राप्त केस डायरी एवं आख्या का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण द्वारा वादिया के घर मे घुसकर वादिया के पति सोमपाल व पुत्री नेहा के साथ गाली गलोच करते हुए मारपीट करने व जान से मारने की धमकी देने के सन्दर्भ में थाना पर यह अभियोग अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। केस डायरी पर अंकित आहत **सोमपाल** की चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार आहत के शरीर पर कुल 06 चोटे आना, आहत की चोट सं0–1 व 4 को जेरे निगरानी रख जाना तथा उक्त

चोटो के सन्दर्भ में एक्स–रे की सलाह दिया जाना अभिलिखित है। केस डायरी पर अंकित आहत **निखिल** की चिकित्सीय परीक्षण आख्या में आहत के शरीर पर तीन चोटे आना तथा आहत की सभी चोटे साधारण प्रकृति की होना अंकित है। केस डायरी के अवलोकन से आहत सोमपाल की कोई एक्स–रे रिपोर्ट केस डायरी पर उपलब्ध होना परिलक्षित नहीं है। अभियोजन को प्रस्तुत मामले में आहत सोमपाल की एक्स–रे रिपोर्ट व पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु अभियोजन को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी आज तक उनकी ओर से आहत की एक्स–रे रिपोर्ट व पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी है। अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है कि आहतो सभी चोटे साधारण प्रकृति की है। मामले की सभी धाराये अधिकतम सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय होने के बावजूद भी विवेचक द्वारा अभियुक्तगण को धारा–35(3)बी0एन0एस0 का नोटिस प्रदान नहीं किया गया है, जिससे प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण की गिरफतारी की सम्भावना बनी हुई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार–बार यह आदेशित किया जा रहा है कि सात वर्ष तक की सजा के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सतेन्द्र कुमार एण्टिल बनाम् सी0बी0आई0 एवं अन्य** मामले में प्रतिपादित विधि सिद्धान्त का अक्षरसः पालन किया जाये। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास होना अभिकथित नहीं है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को विवेचना पूर्ण होने तक की अवधि के लिए अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना उचित होगा।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्तगण **मोनू उर्फ प्रदीप, पिंकू एवं बोबी** की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा अंकन–पच्चीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं इतनी ही धनराशि का एक–एक प्रतिभू संबन्धित प्रभारी निरीक्षक/विवेचक के समक्ष उनकी संतुष्टि के अनुरूप प्रस्तुत करने पर निम्नांकित शर्तो के अधीन, विवेचना पूर्ण होने तक की अवधि के लिए अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है :–

1. यह कि अभियुक्तगण किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जैसा और जब अपेक्षा की जायेगी,पूछताछ किये जाने हेतु स्वयं उपलब्ध होंगे तथा विवेचना में सहयोग करेंगे।
2. यह कि अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगें, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके,
3. यह कि अभियुक्तगण, न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगे।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर विवेचनाधिकारी, अभियुक्तगण की अग्रिम जमानत निरस्त किये जाने हेतु उचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र होगा।

आदेश की प्रति सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/विवेचक को अनुपालनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये।

दिनांक 20.08.2026

(सतेन्द्र कुमार)
सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
I.D. UP-1891